

अनु० 205A

03.17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के तीन सदस्यों के द्वारा s/c दायित्व किया गया है। पीवसीएन पराधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिलेख दिनांक 11.04.17 को रखा।

अनु० 205A

11.04.17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के छह सदस्य उपस्थित हैं एवं अनुपस्थित सदस्य की जगह प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन पत्र किया गया है। अभिलेख दिनांक 02.05.17 को रखा।

अनु० 205A

02.05.17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के सदस्य अनुपस्थित हैं। वाद के द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित हैं। उक्त वाद की समप्रावधि 6 माह समाप्त हो चुकी है। अतः वाद की कार्टवाई समाप्त की जाती है।

अनु० 205A